384

संख्या– /XXVIII–5–2015–118/2015

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 22 जनवरी, 2016

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के सुचारू संचालन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–5प/1/25/2015–16/444 दिनांक 05.01.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनेत्तर मद में अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2210–01–110–15–राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के सुचारू संचालन के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत अवशेष प्राविधानित धनराशि ₹3600.00 (छत्तीस करोड मात्र) के सापेक्ष वर्तमान में अवशेष धनराशि ₹2300.00 लाख (तेइस करोड़ मात्र) के सापेक्ष ₹1150.00 लाख (ग्यारह करोड पचास लाख मात्र) एवं लेखाशीर्षक–2210–01–110–13 –राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के सुचारू संचालन के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹1700.00 (सत्रह करोड़) के सापेक्ष वर्तमान मे अवशेष धनराशि ₹1100.00 लाख (ग्यारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष ₹550.00 लाख (पांच करोड पचास लाख मात्र) अर्थात कुल 1700.00 लाख (सत्रह करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश

संख्या– 267/XXVII(1)/2008 दिनाक 27 मार्च 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित चिकित्सालयों से प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उक्त के अतिरिक्त इस शासनादेश के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी पन्द्रह दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, जिसके अभाव में प्रतिपर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत संलग्नकों में वर्णित लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1080/XXVII(1)/2015-16 दिनांक 08.9.2015 में दिये गये वित्तीय प्रतिनिधायन अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्न : ऑन लाईन एलाटमेन्ट सं0– **S1601120269**

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 65 (1)/**XXVIII**–5–2015–118/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0– 65 /XXVIII–5–2015–118/2015 दिनांक 22 जनवरी, 2016

संलग्नक

अनुदान संख्या–12

(धनराशि हजार ₹ में)

क्रम सं0		लेखाशीर्षक	कुल प्राविधानित धनराशि	2015–16 में निर्गत प्रथम किस्त	2015–16 में निर्गत द्वितीय किस्त	2015–16 में निर्गत की जा रही तृतीय किस्त
1	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–**अयोजनेत्तर**				
	01	शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
	110	अस्पताल तथा औषधालय				
	15	राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान				
	20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	360000	65000	65000	115000
2	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–**अयोजनेत्तर**				
	03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति				
	110	अस्पताल तथा औषधालय				
	13	राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान				
	20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	170000	30000	30000	55000
		कुल योग		**95000**	**95000**	**170000**

(सत्रह करोड मात्र)

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव